




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 809]
No. 809]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 1998/अग्रहायण 24, 1920

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1998/AGRAHAYANA 24, 1920

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1074(अ).—पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1988 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 789 (अ) तारीख 8 सितम्बर, 1998 द्वारा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 8 सितम्बर, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1) (1क) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **परिभाषा**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (क) "अधिनियम" से, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
- (ख) "अभिजनक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत संस्था भी है, जो प्रयोग करने के लिए अन्य प्राधिकृत संस्था को स्थानांतरण के प्रयोजन के लिए पशुओं का अभिजनन करती है;
- (ग) "समिति" से पशुओं पर प्रयोगों के संबंध में नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए अधिनियम की धारा 15 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "स्थापन" से कोई व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, निगम, उच्चतम माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों से भिन्न संस्था, जो पशुओं पर प्रयोग

करती हैं, अभिप्रेत हैं;

- (ड) "प्रयोग" से शरीर क्रियात्मक ज्ञान की नई खोज द्वारा समुन्नति के प्रयोजन के लिए पशु/पशुओं पर प्रयोगों से अन्तर्वलित कोई कार्यक्रम/परियोजना अभिप्रेत है जो जीवन की सुरक्षा या उसे दीर्घ बनाने के लिए या यातनान्यून करने या मनुष्यों या पशुओं को लाने वाले किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी हैं;
- (च) "संस्थागत पशु सदाचार समिति" से कोई निकाय अभिप्रेत है जिसमें किसी स्थापन में पशुओं पर किए गए प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति द्वारा मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का कोई समूह है और जिसे समिति द्वारा प्रयोजन के लिए विहित प्रक्रियाओं के अनुसरण में गठित और प्रचालित किया जाता है;
- (छ) "संविदा अनुसंधान" से कोई अनुसंधान अभिप्रेत है जो किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, निगम या किसी विदेशी व्यक्ति की ओर से संस्था, कम्पनी, फर्म, निगम या संस्था द्वारा किया जाता है;
- (ज) "सहयोगात्मक अनुसंधान" से कोई ऐसा अनुसंधान अभिप्रेत है जो बराबर के स्तर पर दो या अधिक अनुसंधान संस्थाओं के बीच होती है जिसमें कोई वित्तीय या धनीय प्रतिफल अन्तर्वलित नहीं होता है और जो एकमात्र रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान की समुन्नति और मानव कल्याण के प्रयोजन के लिए की जाती है;
- (झ) "विनिर्दिष्ट प्ररूप" से समय-समय पर समिति द्वारा प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है।

3. पशुओं का अभिजनन—(क) कोई स्थापन पशुओं के अभिजनन का कारबार या प्रयोगों के प्रयोजन के लिए पशुओं का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत न हो।

(ख) पशुओं के अभिजनन का कारबार या प्रयोगों के प्रयोजन के लिए पशुओं का व्यवसाय करने वाला प्रत्येक अभिजनक/स्थापन, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और यदि समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर दिया जाता है तो वह पशुओं के अभिजनन को रोक देगा।

4. स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण—(क) कोई स्थापन पशुओं पर कोई प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत न हो।

(ख) पशुओं पर प्रयोग करने वाला प्रत्येक स्थापन इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और यदि समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर दिया जाता है तो वह पशुओं पर प्रयोग करने को रोक देगा।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(क) नियम 3 के उपनियम (ख) के अधीन अभिजनक द्वारा रजिस्ट्रीकरण का आवेदन और नियम 4 के उपनियम (ख) के अधीन कोई स्थापन सदस्य-सचिव या समिति द्वारा इस बाबत किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को विनिर्दिष्ट प्ररूप में करेगा।

(ख) सदस्य-सचिव या समिति का प्राधिकृत अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए उन परिसरों से संबंधित जानकारी जहां प्रयोग किए जाने हैं, पशुगृह सुविधा, पशुओं के अभिजनन के ब्यौरे और इसके व्यवसाय, अन्य अवसरचनात्मक चीजें जिसके अंतर्गत पशुओं को संभलाई में प्रशिक्षित मानवशक्ति की उपलब्धता सम्मिलित है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सत्यापन के लिए जानकारी मांग सकेगा और यदि समाधान हो जाता है तो ऐसे स्थापन या अभिजनक को रजिस्ट्रीकृत कर देगा।

(ग) कोई अभिजनक या स्थापन, पशुओं पर प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण पर, उन शर्तों का अनुपालन करेगा जो समिति द्वारा इस बाबत सदस्य-सचिव या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय विहित की जाएं।

6. किए गए प्रयोगों के ब्यौरे—(क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार एक रजिस्टर बनाए रखेगा और उसमें किसी प्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले पशु की किस्म, पशु के स्वास्थ्य, किए जाने वाले की प्रकृति तथा विशिष्ट प्रजाति पर ऐसे किसी प्रयोग के करने की आवश्यकता के कारणों की पूर्ण विशिष्टियां रखी जाएंगी।

(ख) सदस्य-सचिव या इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस प्रकार रखे गए रजिस्टर की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो वह उसमें सुधार करने के अवसर पर ध्यान दिए बिना, इस बाबत निदेश चाहने वाली समिति को जानकारी में ला सकेगा।

7. पशुओं का स्टॉक किया जाना—पशुओं का अभिजनक और स्थापन द्वारा निम्नलिखित रीति से स्टॉक रखा जाएगा:—

- (क) पशु गृह किसी शांत वातावरण में अवस्थित होंगे जिनमें यातायात द्वारा बिघ्न नहीं डाला जाएगा तथा परिसरों को सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखा जाएगा और पशुओं को सूखे और मौसम के प्रभाव से संरक्षित रखा जाएगा।
- (ख) छोटे पशुओं के पिंजड़े और बड़े पशुओं के अस्तबल ऐसे होंगे जिनमें पशु आराम से रह सकें और उनमें भीड़-भाड़ न हो;
- (ग) जहां भारतीय मानक संस्थान द्वारा मानक अधिकथित किए गए हैं वहां पिंजड़े और अस्तबल उन मानकों के अनुरूप होंगे;
- (घ) पशु परिचर समुचित रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए और उन्हें आर्बटित कर्तव्यों में अनुभव प्राप्त होना चाहिए;
- (ङ) पशुओं की किसी प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त परिचर द्वारा प्रयोग करने के पूर्व और पश्चात् देखभाल की जाएगी;

(घ) पशुओं की कार्य के बंटों के पश्चात् और अवकाश दिनों को उनकी देखभाल के लिए समाधानप्रद व्यवस्था होगी।

8. प्रयोग करने के लिए अपेक्षित समिति की अनुज्ञा—(क) किसी पशु को अर्जित करने से पूर्व या किसी पशु/पशुओं पर कोई प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन समिति की या समिति द्वारा प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त संस्थागत पशु सदाचार समिति की यथास्थिति, सदस्य-सचिव को या संस्थागत पशु सदाचार समिति को विनिर्दिष्ट प्ररूप में अंतर्विष्ट ब्यौरे सहित अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

(ख) समिति का सदस्य-सचिव या संस्थागत पशु सदाचार समिति, समिति/संस्थागत पशु सदाचार समिति के समक्ष अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत कराएगी और समिति/संस्थागत पशु सदाचार समिति, आवेदन की समीक्षा के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है तो प्रजातियों का नाम और पशुओं की वह संख्या जो प्रयोग करने के लिए अर्जित की जा सकती हों, कथित करते हुए स्थापन को अनुज्ञा दे सकेगी।

(ग) यथास्थिति, समिति या संस्थागत पशु सदाचार समिति, पशुओं पर प्रयोग करने के लिए अनुज्ञा देते समय ऐसी शर्तें रख सकेगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त हो कि प्रयोग करने के दौरान या उसके पश्चात् उनको कोई अनावश्यक दर्द या पीड़ा न हो।

(घ) समिति, स्थापनों और संस्थागत पशु सदाचार समितियों तथा पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से ऐसी जानकारी समिति को भेजने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह उन प्रयोगों की समाप्ति पर जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, प्राप्त करे।

9. प्रयोगों का कार्यपालन—पशुओं पर प्रयोग करने में, निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) प्रयोग प्रत्येक दशा में इस निमित्त समयक रूप से अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन किए जाएंगे अर्थात् उनके पास उस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था की पशु विज्ञान या आयुर्विज्ञान अथवा प्रयोगशाला पशु विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा हो तथा वे प्रयोग करने के लिए उत्तरदायित्वाधीन हों;

(ख) प्रयोग समयक सावधानी पूर्वक और मानवता से किए जाएंगे;

(ग) प्रयोग करने के लिए आशयित पशुओं की प्रयोग से पूर्व और उसके पश्चात् समुचित रूप से देखभाल की जाएगी;

(घ) सादा संरोपण या उपरिस्थ सिराबेधन अधिक शैल्य चिकित्सा प्रक्रिया वाले प्रयोगों को, पशुओं के दर्द के निवारण के लिए संवेदनाहरण के प्रभाव के अधीन रखा जाएगा और ऐसा पूरे प्रयोग के दौरान रहेगा। संवेदनाहरण की प्रक्रिया किसी संवेदनाहरण की पद्धति में प्रशिक्षित पशु शैल्य चिकित्सक या इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार प्रशिक्षित किसी वैज्ञानिक/तकनीशियन द्वारा की जाएगी और वह प्रयोग के पूरा होने तक पशु के निकट उपस्थित रहेगा;

(ङ) प्रयोग के दौरान संवेदनाहरण के प्रभाव के अधीन यदि पशु इस प्रकार घायल हो जाता है कि उसके पुनः चेतना में आने के लिए दर्द या पीड़ा होगी तो उसे संवेदनाहरण के प्रभाव के अधीन ही रखा जाएगा;

(च) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई पशु प्रयोग के किसी प्रक्रम पर असाधारण दर्द से पीड़ित है तो संवेदनाहरण को प्रयोग को पूरा किए बिना नष्ट कर दिया जाएगा;

(छ) प्रयोग को, विद्यालयों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के सिवाए किसी मानविक कुशलता को प्राप्त करने या उसे बनाए रखने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा;

(ज) प्रयोगों को स्पष्टीकरण के द्वारा नहीं किया जाएगा;

(झ) प्रयोगों को किसी लोक प्रदर्श के रूप में नहीं किया जाएगा;

(ञ) डरारी या कुरारी अथवा किसी ऐसे पैरेलिसन के नाम से ज्ञात पदार्थ को, चेतन अवस्था को समाप्त करने के लिए पर्याप्त गहराई तक संवेदनाहरण सहित संयुग्मक अवस्था के सिवाए किसी प्रयोग के प्रयोजन के लिए नहीं खिलवाया जाएगा;

(ट) किसी ऐसे प्रयोग को, जिसके परिणाम पहले से ही निर्णायक रूप से ज्ञात हैं, पूर्व औचित्य के बिना नहीं दुहराया जाएगा;

(ठ) किसी पशु की आंख में अवशोषण के प्रयोजन के लिए किसी रसायन को प्रयोग के द्वारा उसकी आंख की झिल्ली या कोर्निया के माध्यम से जिसमें यह जानते हुए कि दर्द हो रहा है संरोपण नहीं किया जाएगा;

(ड) प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए कुत्तों का मुंह नहीं बांधा जाएगा;

(ढ) जहां प्रयोग किसी संस्था में किए जाते हैं वहां उसका उत्तरदायित्व संस्था के भारसाधक व्यक्ति पर रखा जाएगा और उन दशाओं में जहां प्रयोग किसी संस्था से बाहर किए जाते हैं, इसमें इस निमित्त अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति पर होगा, प्रयोग उसके उत्तरदायित्व पर किए जाएंगे।

10. प्रयोग के लिए पशुओं का स्थानांतरण और अर्जन—(क) कोई अभिजनक किसी पशु का विक्रय द्वारा या अन्यथा स्थानांतरण ऐसे स्थापन को नहीं करेगा जो इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

(ख) कोई स्थापन किसी रजिस्ट्रीकृत अभिजनक/स्थापन के सिवाए किसी पशु का विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जन नहीं करेगा।

(ग) प्रत्येक स्थापना किसी पशु या पशुओं के अर्जन के पश्चात् ऐसे पशु या पशुओं को विक्रय द्वारा या अन्यथा किसी रजिस्ट्रीकृत अभिजनक/स्थापन के सिवाए किसी अन्य स्थापन या व्यक्ति को स्थानांतरण नहीं करेगा।

(घ) किसी उत्पादन/अभिजन सुधार कार्यक्रम में प्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को अभिजनक संस्था द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए दिया जा सकेगा।

(ङ) किसी ऐसे पशु का किसी अभिजनक या संस्था द्वारा आयात नहीं किया जाएगा जो देश में उपलब्ध है।

(च) कोई अभिजनक या स्थापन, पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रयोजन के लिए समिति द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करेगा।

11. **अभिलेख**—(क) प्रत्येक स्थापन/संस्थागत पशु सदाचार समिति, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने नियंत्रणाधीन और अभिरक्षा में पशुओं का अभिलेख रखेगी।

(ख) प्रत्येक स्थापन/संस्थागत पशु सदाचार समिति, विनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसी जानकारी देगी जो समिति, समय-समय पर अपेक्षा करे।

(ग) सभी प्रयोगशालाएं विनिर्दिष्ट प्ररूप में, सदस्य-सचिव या समिति द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किसी अधिकारी को पशुओं की सही संख्या/प्रजाति की सूचना देगी।

12. **पशु प्रयोगों संबंधी संविदा**—कोई स्थापन किसी ऐसे अन्य स्थापन या अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्था की ओर से, संविदा पर संविदा अनुसंधान या प्रयोग करने की संविदा नहीं करेगा या उसका वचन नहीं देगा। तथापि यह शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को लागू नहीं होगा।

13. **संस्थागत पशु सदाचार समिति की संरचना**—प्रत्येक संस्थागत पशु सदाचार समिति के एक जीव विज्ञान वैज्ञानिक, विभिन्न जीव विज्ञान विद्या शाखाओं से दो वैज्ञानिक, पशुओं की देखभाल से संबंधित एक पशु धिकित्सक, संबंधित स्थापन की पशु सुविधा का भार साधक वैज्ञानिक, संस्थान से बाहर का एक वैज्ञानिक, एक सामाजिक रूप से जागरूक गैर वैज्ञानिक सदस्य और समिति का एक प्रतिनिधि या नामनिर्देशिनी। परिसंकटमय अभिकारकों जैसे रेडियो ऐक्टिव पदार्थ और घातक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाली विशेष परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करते समय एक विशेषज्ञ को सहयोजित किया जा सकेगा।

14. **रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन या प्रतिसंहरण की शक्ति**—(क) यदि समिति को सदस्य-सचिव या समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर किसी निरीक्षण या अन्यथा प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप यह समाधान हो जाता है कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों का किसी स्थापन या अभिजनक या किसी संस्थागत पशु सदाचार समिति द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तो समिति विषय में स्थापन या अभिजनक या संस्थागत पशु सदाचार समिति को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे स्थापन या अभिजनक अथवा संस्थागत पशु सदाचार समिति के रजिस्ट्रीकरण को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अनिश्चित अवधि के लिए प्रतिसंघरीत कर सकेगी अथवा स्थापन या अभिजनक अथवा संस्थागत पशु सदाचार समिति को ऐसी विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समिति अधिरोपित करे, कार्य करते रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(ख) समिति, अंतिम अवधारण के लम्बित रहने के दौरान यदि उसकी यह राय है कि स्थापन या अभिजनक, इन नियमों के उपबंधों का पालन करने में प्रथमदृष्टया असफल रहा है तो ऐसे स्थापन या अभिजनक के रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन कर सकेगी।

(ग) समिति, किसी स्थापन या अभिजनक के रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण या निलम्बन की दशा में, ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो वह उन पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए उपयुक्त समझे जो ऐसे स्थापन या अभिजनक की अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन हैं।

(घ) ऐसे स्थापन या अभिजनक की अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण की दशा में वह आदेश की संसूचना पर किसी पशु पर प्रयोग या किसी पशु का अर्जन अथवा स्थानांतरण बंद कर देगा।

[फा. सं. 7-5/98-ए.डब्ल्यू.]

अशोक पाल सिंह, सदस्य-सचिव,

पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1998

S.O. 1074.— Whereas the draft Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998 were published, as required by sub section (1) of Section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) under the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests number S.O. 789(E) dated, the 8th September, 1998 in the Gazette of India, Extraordinary, Part.II, Section 3, Sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette, containing the said notification are made available to the public;

And, whereas the said Gazette was made available to the public on 8th September, 1998.

And whereas the objections/suggestions received in respect of the said draft rules, have been duly considered by the Committee for control and supervision of experiments on animals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) (1A) and (2) of section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 196 (59 of 1960), the Committee for control and supervision of experiments on animals hereby makes the following rules, namely:-

1. Short Title and commencement. - (1) These rules may be called the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) ;

(b) "breeder" means a person including an Institution, which breeds animals for the purpose of transfer to other authorised Institution for performing experiments;

(c) "Committee" means the Committee constituted under section 15 of the Act for control and supervision of experiments on animals;

(d) "establishment" means any individual, company, firm, corporation, Institution other than schools up to higher secondary level, which performs experiments on animals;

(e) "experiment" means any programme/project involving experiments on an animal/animals for the purpose of advancement by new discovery of physiological knowledge which will be useful for saving or prolonging life or alleviating suffering or for combating any disease whether on human beings or animals;

(f) "Institutional Animals Ethics Committee" means a body comprising of a group of persons recognised and registered by the Committee for the purpose of control and supervision of experiments on animals performed in an establishment which is constituted and operated in accordance with procedures specified for the purpose by the Committee;

(g) "contract Research" means any research undertaken by an individual, company, firm, corporation or institution on behalf of a foreign individual, company, firm, corporation or institution for any consideration;

(h) "collaborative research" means any research undertaken between two or more research institutions on an equal footing which does not involve any financial or monetary considerations and is undertaken solely for the purpose of advancement of scientific research and human welfare;

(i) "specified format" means the form specified for the purpose by the Committee from time to time.

3. Breeding of animals .- (a) No establishment shall carry on the business of breeding of animals or trade of animals for the purpose of experiments unless it is registered.

(b) Every breeder/establishment carrying on the business of breeding animals or trade of animals for the purpose of experiments, shall, apply for registration within sixty days from the date of commencement of these rules and, stop breeding of animals if registration is subsequently refused to it by the Committee.

4. Registration of establishments. - (a) No establishment shall perform any experiment on animals unless it is registered.

(b) Every establishment performing experiments on animals, shall, apply for registration within sixty days from the date of commencement of these rules and, stop performing experiments on animals if registration is subsequently refused to it by the Committee.

5. Application for registration. - (a) The application for registration by a breeder under sub-rule (b) of rule 3 and an establishment under sub-rule (b) of rule 4 shall be made in the specified format to the Member-Secretary or any other officer authorised in this regard by the Committee.

(b) The Member-Secretary or the authorised officer of the Committee, may for deciding the issue of registration, ask for information relating to premises where the experiments are to be conducted, animal housing facilities, details of breeding of animals and its trade, other infrastructure including availability of manpower trained in handling animals and for verification of facts mentioned in the application for registration, and if satisfied, shall register such establishment or the breeder.

(c) A breeder or the establishment on registration for the purpose of performing experiments on animals shall comply with the conditions as may be specified, at the time of registration, by the Member-Secretary of the Committee or any officer authorised in this regard by the Committee.

6. Details of the experiments conducted. - (a) Every registered establishment shall maintain a register as per the specified format and keep complete particulars about the kind of animal to be used for conducting any experiment, the health of the animal, the nature of experiment to be performed, and the reasons necessitating the performance of such an experiment on particular species.

(b) The Member-Secretary or the officer authorised by the Committee in this behalf may examine the register so maintained, and if, he is not satisfied irrespective of the opportunity given for improvement, he may bring the same to the notice of the Committee seeking directions in this regard.

7. Stocking of animals. - The animals shall be stocked by the breeder and the establishment in the following manner:-

- (a) animal houses shall be located in a quiet atmosphere undisturbed by traffic, and the premises kept tidy, hygienic and the animals protected from drought and extremes of weather;
- (b) animal cages for small animals and stables for large animals shall be such that animals can live in comfort and overcrowding is avoided;
- (c) where standards have been laid down by the Indian Standards Institution, the cages, the stable, as the case may be, shall conform to those standards;
- (d) animals' attendants must be suitably trained and experienced in the duties allotted to them;
- (e) animals shall be looked after, before and after the experiments by a trained and experienced attendant;
- (f) there shall be satisfactory arrangement for looking after the animals during off hours and on holidays.

8. Permission of the Committee required for conducting experiments. - (a) Every registered establishment before acquiring an animal or conducting any experiment on an animal/animals shall apply for permission of the Committee or the Institutional Animals Ethics Committee recognised for the purpose by the Committee along with the details contained in the specified format to the Member Secretary of the Committee or the Institutional Animals Ethics Committee, as the case may be.

- (b) The Member Secretary of the Committee or the Institutional Animals Ethics Committee, shall cause the application for permission to be brought before the Committee/Institutional Animals Ethics Committee as the case may be, and the Committee/ Institutional Animals Ethics Committee after scrutiny of the application, if satisfied, may grant permission to the establishment stating the name of the species and the number of animals that can be acquired for carrying out the experiments.
- (c) The Committee or Institutional Animals Ethics Committee, as the case may be, may, while granting permission for conducting experiments on animals, put conditions as it may deem fit to ensure that animals are not subjected to unnecessary pain or suffering before, during or after the performance of experiments on them.
- (d) The Committee may require the establishments and Institutional Animals Ethics Committees and persons carrying on experiments on animals to forward to the Committee such information as it may require, on completion of experiments for which the permission has been granted.

9. Performance of experiments . - In conducting experiments on animals, regard shall be had to the following conditions, namely:-

- (a) experiments shall be performed in every case by or under the supervision of a person duly qualified in that behalf, that is, Degree or Diploma holders in Veterinary Science or Medicine or Laboratory Animal Science of a University or an Institution recognised by the Government for the purpose and under the responsibility of the person performing the experiment;
- (b) experiments shall be performed with due care and humanity;
- (c) animals intended for the performance of experiments are properly looked both before and after experiments;

- (d) experiments involving operative procedure more severe than simple inoculation or superficial venesection shall be performed under the influence of anaesthetic to prevent the animal feeling pain and it shall remain so throughout the experiment. Anesthesia shall be administered by a Veterinary Surgeon trained in methods of anesthesia or a Scientist/technician so trained for this purpose and who shall remain present near the animal till the completion of the experiment;
- (e) animals which in the course of experiments under the influence of anaesthetic are so injured that their recovery would involve pain or suffering shall be destroyed humanely while still under the influence of anesthesia;
- (f) when there is reason to believe that an animal is suffering abnormal or severe pain at any stage of a continuing experiment, it shall be painlessly destroyed at that stage without proceeding with the experiment;
- (g) the experiment shall not be performed for the purpose of attaining or retaining manual skill except in schools, colleges and recognised training institutions;
- (h) experiments shall not be performed by way of an illustration;
- (i) experiments shall not be performed as a public demonstration;
- (j) the substance known as Urari or Curari or any such paralyser shall not be used or administered for the purpose of any experiment except in conjunction with anaesthetic of sufficient depth to produce loss of consciousness;
- (k) no experiment the result of which is already conclusively known, shall be repeated without previous justification;
- (l) there shall not be applied to the eye of an animal by way of experiment any chemical substance for the purpose of absorption through the conjunctival membrane or through the cornea calculated to only give pain;
- (m) dogs held for experimental purposes shall not be debarked.
- (n) where experiments are performed in any institution, the responsibility therefor is placed on the person in charge of the institution and in cases where experiments are performed outside an institution by an individual qualified in that behalf, the experiments are performed on his responsibility.

10. Transfer and acquisition of animals for experiment . - (a) A breeder shall not transfer any animal by sale or otherwise to an establishment which is not registered under these rules.

- (b) An establishment shall not acquire any animal by sale or otherwise except from a registered breeder/establishment.
- (c) Every establishment after acquisition of a animal or animals shall not transfer such animal or animals by sale or otherwise to any other establishment or person except to a registered breeder/establishment.
- (d) The animals used for experimentation in a production/breed improvement programme may be given out by the breeder institution for domestic use.
- (e) No animal shall be imported by a breeder or an establishment which is available in the country.

(f) A breeder or an establishment shall comply with the directions given by the Committee for the purpose of controlling and supervising experiments on animals.

11. Records. - (a) Every establishment/Institutional Animals Ethics Committee shall maintain a record of the animals under its control and custody in the specified format.

(b) Every establishment/Institutional Animals Ethics Committee shall furnish such information, as the Committee may, from time to time require in the specified format.

(c) All laboratories shall inform the exact number/species of animals to the Member Secretary or any officer authorised in this regard by the Committee as per the specified format.

12. Contract animal experiments.- No establishment shall contract or undertake to perform contract research or experiments on contract basis on behalf of any other establishment or research or educational institution. This shall however not apply to collaborative research between academic institutions.

13. Composition of Institutional Animals Ethics Committee.- Every Institutional Animals Ethics committee shall include: a biological scientist, two scientists from different biological disciplines, a veterinarian involved in the care of animals, the scientist in charge of animals facility of the establishment concerned, a scientist from outside the institute, a non-scientific socially aware member and a representative or nominee of the Committee. A specialist may be co-opted while reviewing special projects using hazardous agents such as radio-active substance and deadly micro organisms.

14. Power to suspend or revoke registration. - (a) If the Committee is satisfied, on the report of the Member-Secretary or the authorised officer of the Committee made to it as a result of any inspection or information received otherwise that the rules made by it are not being complied with by any establishment or breeder or an Institutional Animals Ethics Committee, the Committee may, after giving a reasonable opportunity to the establishment or breeder or Institutional Animals Ethics Committee of being heard in the matter, revoke the registration of such establishment or breeder or Institutional Animals Ethics Committee either for a specified period or indefinitely, or may allow the establishment or breeder or Institutional Animals Ethics Committee to carry on subject to such special conditions as the Committee may impose.

(b) The Committee may, pending the final determination, if, it is of the opinion that an establishment or breeder has prima facie failed to comply with the provisions of these rules, suspend the registration of such establishment or the breeder.

(c) The Committee may in the event of revocation or suspension of registration of an establishment or breeder, issue such directions as it deems fit for the care and protection of the animals which are under the custody or control of such establishment or the breeder.

(d) That in the event of suspension or revocation of a license, such establishment or breeder shall forthwith on the communication of the order cease to perform any experiment on any animal or acquire or transfer any animal.

[F. No. 7-5/98-AW]

ASHOK PAL SINGH, Member-Secretary
Committee for the Purpose of Control &
Supervision of Experiments on Animals

